न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी	–	श्री हेतराम मूंड, आर.जे.एस.
प्रकरण संख्या	–	792/2021
सीआईएस संख्या	–	80/2019
CNR No.	–	RJHG120001772019
एफआईआर संख्या व पुलिस थाना	–	588/2018 पुलिस थाना रावतसर

राजस्थान राज्य बनाम सार्दुलसिंह

अपराध अंतर्गत धारा **279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 184, 183 एम.वी. एक्ट**

भाग प्रथम

क

परिवादी	मनोज अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र, निवासी वार्ड नं. 18 रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	सार्दुल सिंह पुत्र साहबराम, निवासी धन्नासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सतीश कुमार सहू

ख

अपराध की दिनांक	12–12–2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	13–12–2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	16–01–2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	16–01–2019 को मौखिक
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	16–11–2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	02–06–2026
निर्णय दिनांक	02–06–2026

सजा आदेश यदि हो तो	––––––––

ग

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश
1–	सार्दुलसिंह	–	16–01–2019	279, 337, 338 भा.दं.सं. व 134/187, 184, 183 एम.वी. एक्ट	दोषमुक्त	––––

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 1	मनोज	परिवादी, आहत
पी.डब्ल्यू. 2	डॉ. धनपत	चोटों का मुआयना करने के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 3	लालचन्द	एक्सरे प्लेट के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 4	मेघांसु	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 5	ज्ञानसिंह	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 6	रामप्रताप	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 7	राजेन्द्र	मैकेनिकल मुआयना के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 8	जगदीश	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 9	राहुल	आहत
पी.डब्ल्यू. 10	सुभाषचन्द्र	फर्द जब्ती के संबंध में

ब–बचाव गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी 3 ए	हालात मौका घटनास्थल
5.	प्रदर्श पी 4	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल
6.	प्रदर्श पी 5	चोट प्रतिवेदन राहुल
7.	प्रदर्श पी 6	एक्सरे प्लेट
8.	प्रदर्श पी 7	एक्सरे प्लेट
9.	प्रदर्श पी 8	एक्सरे प्लेट
10.	प्रदर्श पी 9	एक्सरे रिपोर्ट राहुल
11.	प्रदर्श पी 10	फर्द जब्ती दुर्घटना कारित वाहन पिकअप
12.	प्रदर्श पी 11	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट
13.	प्रदर्श पी 12	रिपोर्ट मैकेनिकल मुआयना पिकअप

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––––––––––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––––––––––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण

निर्णय **दिनांक– 02–06–2026**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13–12–2018 को परिवादी मनोज ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रावतसर पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि ''प्रार्थी व प्रार्थी का भाई राहुल दिनांक 12–12–2018 को शाम 6.45 बजे आवाम फाईनेंस बैंक शाखा रावतसर से वार्ड नम्बर 15 में अपने मेडिकल स्टोर पर आ रहे थे। प्रार्थी मोटरसाईकिल को चला रहा था। राहुल पीछे बैठा था। प्रार्थी ने हाईवे से मोटरसाईकिल अपनी दुकान की तरफ क्रॉस कर लिया व हाईवे से नीचे उतरते ही पिकअप नम्बर आरजे 49 जीए 0088 के ड्राईवर ने तेज गति व लापरवाही से पिकअप चलाते हुए मोटरसाईकिल में टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी उछलकर दूर मिट्टी में गिर गया व प्रार्थी के भाई के मुंह, सिर व पैरों पर चोट लगी व हाथ फ्रैक्चर हो गया व मोटरसाईकिल टूट गया। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई राहुल को ज्ञानसिंह सोलकर, मेघांसु व जगदीश पारीक ने उठाया व राहुल के अधिक चोट लगने के कारण राजकीय चिकित्सालय रावतसर में भर्ती करवाया। राहुल के सिर में अधिक चोट लगने के कारण हनुमानगढ़ रैफर किया गया..आदि।'' उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रावतसर पर एफआईआर संख्या 588/2018 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त सार्दुल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 184, 183 एम.वी. एक्ट का प्रसंज्ञान लिया गया।
2. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।
3. अभियोजन की ओर से अभियोग को साबित करने के लिये कुल 10 गवाह मौखिक साक्ष्य में परीक्षित हुए व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये, जिनका पूर्व में विवरण दिया जा चुका है। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।
4. अभियोजन द्वारा लेखबद्ध करवाई गई साक्ष्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत् अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन किये तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।
5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि यदि एक भी विश्वसनीय गवाह के द्वारा ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो तो मात्र उसी के बयानों के आधार पर

मुलजिम की दोषसिद्धि पूर्णतः संभव है, इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे, उक्त तर्कों के समर्थन में सम्मानित न्यायिक दृष्टांत Chittar Lal v. State of Rajasthan, AIR 2003 SC 3590, 2003(1) Suppl. SCR 633, 2003(6) SCC 397, 2003(5) SCALE 327, 2003(7) JT 270 पेश किया। जबकि इसके विपरीत मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मुलजिम को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

6. उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12–12–2018 को समय लगभग शाम के 6.45 बजे वाके मेगा हाईवे पर आरा गली की तरफ चौराहे के पास कस्बा रावतसर पर वाहन पिकअप गाड़ी संख्या आरजे 49 जीए 0088 को तेज गति व उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए मोटरसाईकिल पर सवार परिवादी व परिवादी के भाई राहुल को टक्कर मारी, जिससे मजरूब राहुल को स्वेच्छया साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई तथा अभियुक्त ने उक्त पिकअप को तेज गति व खतरनाक तरीके से चलाया और दुर्घटना के समय वाहन चालक द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों का पालन नहीं किया?
2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन व विवेचन किया जाना नितांत आवश्यक है। अब यदि अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य आई है, उसका अवलोकन किया जाये तो हस्तगत प्रकरण परिवादी मनोज द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के आधार पर दर्ज हुआ है। प्रकरण का परिवादी मनोज पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 12–12–2018 को इसके व इसके भाई राहुल के मोटरसाईकिल से मेडिकल स्टोर पर आ रहे होने। इसके मोटरसाईकिल चला रहे होने। आरा वाली गली रामपुरा रोड़ क्रॉस कर रहे होने तो इनके रोड़ क्रॉस कर लेने, तभी एक पिकअप पल्लू की तरफ से तेज गति से आ रही होने, जिसके नम्बर आरजे 49 जीए 0088 होने, जिसके पिकअप लाकर इनकी बाईक में टक्कर मार देने, जिससे इन दोनों के मोटरसाईकिल से गिर जाने। इसके ज्यादा चोटें नहीं लगने, लेकिन इसके पीछे बैठे भाई के ज्यादा चोट लगने के संबंध में कथन कर अपने द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में उल्लेखित तथ्यों की ताईद की है।

8. अब यदि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में उल्लेखित मजरूब राहुल के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह/मजरूब राहुल पीडब्ल्यू 9 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह/मजरूब ने अपने बयानों में दिनांक 12–12–2018 को इसके व इसके भाई मनोज दोनों के मोटरसाईकिल पर जा रहे होने। वक्त करीब पौने सात बजे इसके भाई द्वारा मोटरसाईकिल को रामपुरा रोड़ से मेगा हाईवे क्रॉस कर नीचे उतरने पर पल्लू की तरफ से एक पिकअप चालक द्वारा पिकअप को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाने व इनके मोटरसाईकिल के टक्कर मार देने, जिससे इन दोनों के गिर जाने व चोटें लगने। पिकअप के नम्बर आरजे 49 जीए 0088 होने। टक्कर के बाद थोड़ी देर पिकअप चालक के रूकने, फिर अपनी पिकअप को मौके से भगाकर ले जाने। मौके पर ज्ञानसिंह, मेघांसु, जगदीश आदि के आ जाने, जिनके द्वारा इन्हें अस्पताल लेकर जाने के संबंध में कथन कर लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की ताईद की है।

9. अब यदि गवाह पीडब्ल्यू 4 मेघांसु, पीडब्ल्यू 5 ज्ञानसिंह व पीडब्ल्यू 8 जगदीश, लिखित रिपोर्ट के अनुसार व परिवादी/मजरूब के बयानों के अनुसार मौके पर उपस्थित होने व मजरूबान को अस्पताल लेकर जाने के गवाह हैं, के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाहों ने अपने बयानों में दुर्घटना होने, दुर्घटना कारित पिकअप के नम्बर आरजे 49 जीए 0088 होने के संबंध में कथन कर परिवादी/मजरूब पीडब्ल्यू 1 मनोज व पीडब्ल्यू 9 राहुल के बयानों का समर्थन करते हुए साक्ष्य दी है। लेकिन यह कि गवाहान/मजरूबान पीडब्ल्यू 1 मनोज, पीडब्ल्यू 4 मेघांसु, पीडब्ल्यू 5 ज्ञानसिंह, पीडब्ल्यू 8 जगदीश व पीडब्ल्यू 9 राहुल के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाहों में से किसी भी गवाह के बयानों में इस प्रकार के कोई कथन नहीं है कि वरवक्त दुर्घटना वाहन पिकअप नम्बर आरजे 49 जीए 0088 का चालक अभियुक्त सार्दुलसिंह ही हो और उक्त दुर्घटना उक्त अभियुक्त की उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई हो। इसके अतिरिक्त यह कि मजरूब पीडब्ल्यू 9 राहुल ने अपनी मुख्य परीक्षा में टक्कर के बाद थोड़ी देर पिकअप चालक के रूकने, फिर अपनी पिकअप को मौके से भगाकर ले जाने का कथन किया है। गवाह/मजरूब पीडब्ल्यू 5 ज्ञानसिंह ने स्वयं के जगदीश व मेघांसु द्वारा पिकअप चालक को रोकने के संबंध में कथन किये हैं और गवाह पीडब्ल्यू 4 मेघांसु ने भी पिकअप चालक द्वारा कुछ देर रूकने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन यह कि उक्त गवाहों से भी मुलजिम की कोई शिनाख्तगी न्यायालय में नहीं करवाई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वरवक्त दुर्घटना वाहन का चालक अभियुक्त सार्दुलसिंह ही हो। ऐसे में यह तथ्य पूर्णतया संदेह से परे साबित नहीं है कि वरवक्त दुर्घटना कारित वाहन का चालक अभियुक्त सार्दुलसिंह ही हो।

10. अब यदि प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 6 रामप्रताप जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, के बयानों का अवलोकन किया जाये तो इसने अपने बयानों

में मुलजिम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानने के संबंध में कथन किये हैं। इस गवाह से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी जिरह में गाड़ी का चालक व मालिक एक ही व्यक्ति होने व पिकअप पल्लू से हनुमानगढ़ अपनी दिशा में चल रही होने, लेकिन एक्स स्थान पर पिकअप द्वारा सड़क से नीचे उतर कर खड़े बाईक में टक्कर मारना दर्शाने के संबंध में कथन किये हैं।

11. हालांकि पत्रावली पर उपलब्ध धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 11 में आरोपी द्वारा वरवक्त दुर्घटना वाहन पिकअप संख्या आरजे 49 जीए 0088 का चालक खुद के होने के संबंध में कथन किया है। लेकिन यह कि धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस पर अभियुक्त द्वारा दिया गया जवाब पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति के समान है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता।

12. प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 2 डॉ. धनपत आहत के शरीर पर आई चोटों का मुआयना करने का गवाह होकर, पीडब्ल्यू 3 लालचन्द आहत के शरीर पर आई चोटों का एक्सरे करने का गवाह होकर, पीडब्ल्यू 7 राजेन्द्र सिंह मैकेनिकल मुआयने का गवाह होकर व पीडब्ल्यू 10 सुभाषचन्द्र फर्द जब्ती का गवाह होकर औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं।

13. इस प्रकार गवाह/परिवादी/मजरूब पीडब्ल्यू 1 मनोज, पीडब्ल्यू 4 मेघांसु, पीडब्ल्यू 5 ज्ञानसिंह, पीडब्ल्यू 8 जगदीश व पीडब्ल्यू 9 राहुल के बयानों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना पिकअप संख्या आरजे 49 जीए 0088 के द्वारा घटित हुई है, लेकिन यह कि अभियोजन पक्ष को उक्त तथ्य के साथ–साथ यह तथ्य भी साबित करना था कि वरवक्त दुर्घटना पिकअप संख्या आरजे 49 जीए 0088 का चालक अभियुक्त सार्दुलसिंह ही हो व उसकी उपेक्षा व लापरवाही रही हो। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसमें गवाह पीडब्ल्यू 1 मनोज, पीडब्ल्यू 4 मेघांसु, पीडब्ल्यू 5 ज्ञानसिंह, पीडब्ल्यू 8 जगदीश व पीडब्ल्यू 9 राहुल में से किसी भी गवाह के बयानों में इस प्रकार के कोई कथन नहीं हैं कि वरवक्त दुर्घटना पिकअप संख्या आरजे 49 जीए 0088 का चालक अभियुक्त सार्दुलसिंह ही हो व उसकी उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई हो।

14. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त सार्दुलसिंह ही वरवक्त दुर्घटना पिकअप संख्या आरजे 49 जीए 0088 का चालक हो और उक्त दुर्घटना उसकी उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई हो।

15. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त पक्ष के निर्दोष होने की

उपधारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 184, 183 एम.वी. एक्ट के आरोप में संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

16. अतः अभियुक्त सार्दुल सिंह पुत्र साहबराम, निवासी धन्नासर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 184, 183 एम.वी. एक्ट के अपराध से संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

17. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन धारा 437(क)दंड प्रक्रिया संहिता/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

18. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन या अन्य कोई वजह सबूत, यदि सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया है तो बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में उनका नियमानुसार निस्तारण किये जाने बाबत संबंधित को तहरीर जारी हो एवं यदि कोई वजह सबूत या वाहन सुपुर्दगी पर दिया गया है तो उसका सुपुर्दगीनामा–जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

19. निर्णय आज दिनांक 02–06–2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

SUNIL KUMAR
Steno Grade III
"Authenticated Document
Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.02 12:44:35 +0530